

FORM No. III
फर्द अहकाम
 (नियम 26)

अज अदालत उप जिला कलेक्टर मुकाम दीगोद
अवतीगिटे बनाम सरदार
 किस्म मुकदमा 88-89 कीसीय नं. 9 सन् 2018

| | | |
|-------------|---|---|
| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज <i>(Signature)</i> | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------|---|---|

4/5/2018
 पत्रावली पेश हुई। उक्त हाथ वारीगण की ओर से वकील श्री अनिल कुमार द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रत्यक्ष एवं विस्तृत किया जावे। अपीलियों की तलबी रित्तु प्रशक्त है नार्डिमुजाकी वी प्रशुकी कि 30.5.2018 केस अमरपुरा में पेश हो।

30/5/18 पत्रावली लोक अदालत केस अमरपुरा में पेश हुई। वकील वारीगण इपिल्लित, जवाब सरकार पेश हुआ, जो शांमि. किया गया। वारीगण ने अपने पिता का नाम नन्दकिशोर के स्थान पर किशोर दर्ज करने जाने का निवेदन किया है। वारीगण द्वारा वांछित रिलीफ के अर्थ में उपलब्ध दस्तावेजों एवं जवाब सरकार का अवलोकन किया गया। जवाबदी

(Signature)
 25/5/18
 श्री. किशोर


तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज

20/05/2023

लिखत खाला नं. 6 पर मंजूर भूमिपते
के राजस्व रिकॉर्ड मे वादीगण एवं
प्रतिवादी नं. 2 डिशोर-सदखालेदार
दर्ज रिकॉर्ड है तथा वादीगण प्रीत. 2
डिशोर-क फुल है। वादीगण की
भी वलियत गलत मंजूर की गई है,
यह दस्तावेजात एवं जवाब सरकार
से प्रमाणित है, जो दुरुस्तनीय है।

ऊपर वाद वादीगण स्वीकार किया
जाता है। पृथक से डिब्री जारी हो,
निर्णय मजमे आम मे सरे उजलास
सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार
होकर दाखिल दफतर हो।


(ले. नं. 10-10-10)